कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल – 462004

क्रमांक– 547/327/अका0प्र0/आउशि/09,   भोपाल, दिनांक 22.05.2009

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्वान्त सत्र 2009–2010 वार्षिक परीक्षा पद्धति हेतु

1–प्रयुक्ति

यह मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्तएवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गतअध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के तहत सहपठित करते हुये लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें। ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के उनपाठयक्रमों के लिए लागू नही होगें जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेशपात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों।

2–प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्यद्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन के पूर्व लगाई जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन–पत्र जमा किये जावें। विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन–पत्र जमा किए जाएं। इंटरनेट से डाउन लोड की गई अंकसूची भी मान्य होगी।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलाधिपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि के 10 दिन बाद तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के बाद तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे ।

इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जावेगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2009 होगी। विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता यथावत रहेगी।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी, किंतु विधि कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर तथा महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जायेगा ।

2.4 पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों का स्नातक में प्रवेश

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होगें तथा नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा बोर्ड/विश्वविद्यालय व्दारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो, मान्य होगी।

3– प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपलब्ध सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे । तथापि प्राचार्य का यह अधिकार वहॉ लागू नहीं होगा जहॉ सीटों की संख्या का निर्णय शासन अथवा विश्वविद्यालय व्दारा किया गया है। विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल व्दारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय/महाविद्यालय व्दारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।सेमेस्टर के अनुसार **incorporate** करें।

4– प्रवेश सूची

प्राचार्य व्दारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहॉ अधिभार देय है, वहॉ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी। प्रवेश समिति व्दारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित करने एवं जहॉ आवश्यक हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी ।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

5– प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) म0प्र0 के मूल/स्थायी, म0प्र0 में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन म0प्र0 में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों/भूटान के छात्रों को तथा उनके आश्रितों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय से या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ग) काश्मीर के विस्थापितों के लिये निम्न प्रावधान लागू होगा––

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूट ।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्ते पूरी होती हों ।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
4. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छूट ।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षो में आवर्जन की सुविधा ।

5–2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरकर निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश वैध माना जाएगा। प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

5–3 विधि संकाय में नियमित प्रवेश

(क) एल.एल.बी. प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. उत्तरार्द्ध में प्रवेश की पात्रता होगी।

6– समकक्ष परीक्षा

6.1– सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें म0प्र0 के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

6.2 संबंधित विश्वविद्यालय व्दारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करे।

6.3 किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा ।

7– बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0काम/बी0एससी/बी0एससी0 (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म0प्र0 के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 म0प्र0 के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके व्दारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को, स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को, 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य व्दारा दी जा सकती है ।

8–अस्थाई प्रवेश की पात्रता

अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

8.1 स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा/ कम्पार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.2 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.3 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थाई प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा । उत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा ।

9– प्रवेश हेतु अर्हताएं/अपात्रता

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा । उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेशनहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है ।

9.3 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। रैगिंग के संदर्भ में यू0जी0सी0 के ज्ञाप क. एफ–1–16/2007/(सी0पी0पी0 ।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशो का पालन अनिवार्य होगा ।

9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक व्दारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा । किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, (विधि संकाय) को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी ।

10– प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा ।

(क) स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर सूची तैयार की जावेगी।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

11– प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा– उत्तीर्ण (1) नियमित (2) भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी (3) एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र (4) स्वाध्यायी छात्र।

11.2 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों से पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने

नगर तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलो के समीपस्थ स्थानों से आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावें। आवेदक के निवास स्थान तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा ।

शासन द्वारा संभाग स्तर पर घोषित उत्कृष्टता महाविद्यालय में उस संभाग के सभी जिलों के छात्र/छात्राओं को गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी ।

12– आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें । इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनशील होगें ।

12.2 पिछडे वर्ग के (चिकनी परत हो छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे ।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायें ।

विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाये ।

भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों/ अधिकारियों के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा–

1. युद्ध के दौरान शहीद विधवायें एवं उनके आश्रित ।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत अथवा सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग तथा उनके आश्रित ।
5. निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना,वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख ।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा । निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.6 उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्त कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों,कीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायें ।(प्रस्तावित)

12.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी ।

12.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रवेश किसी प्रवेश – परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ 20 प्रतिशत स्थान गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये आरक्षित किए जायें ।

12.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

12.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे ।

12.11 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे ।

13– अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा । पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जावेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउटस
(स्काउटस शब्द को स्काउट/गाईडस/रेन्जर्स के अर्थ में पढ़ा जावे)

(क) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'ए' सर्टीफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'बी' सटीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	03 प्रतिशत
(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन0सी0सी0 प्रतियोगिता	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म0प्र0 के एन0सी0सी0 कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ) म0प्र0 का सर्वश्रेष्ट एन0सी0सी0 केडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन0सी0सी0 केडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम	15 प्रतिशत
(ल) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के तहत चयनित वाले केडेड को/अन्तराष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
13.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नाकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीण विद्याथियों को एल0एल0बी0 प्रथम में प्रवेश देने पर	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद /साहित्यिक/सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं–
(1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को–	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को–	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग / राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:–

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को– 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को– 07 प्रतिशत

(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को– 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को– 15 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को– 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को– 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को– 10 प्रतिशत

13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को– 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म0प्र0 की टीम के सदस्यों को– 12 प्रतिशत

(ग) बशर्ते कि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा ।

13.7 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को– 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेठ केडेटस तथा ओलम्पिक / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस0जी0एफ0आई0 द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है :–

बशर्ते कि –

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.9. विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेगें। स्नातक तृतीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होगें।

14 – <u>संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन</u>

स्नातक तृतीय वर्ष में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

<u>15– शोध छात्र</u>

शासकीय महाविद्यालयों में पीएच0डी0 के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जावेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस

समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे । छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन **करेगे। प्रवेश के बाद** निर्धारित शुल्क जमा करने के **बाद ही** नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा । शोध **छात्र के संबंधित विश्वविद्यालय** द्वारा पी.एच.डी. **निर्देशन हेतु** मान्य **शोध** निर्देशक/सह निर्देशक के निर्देशन में विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । शोध **छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा** निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही अपना शोध कार्य संपादित करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई **शिक्षक** यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो **सक्षम** अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र **एवं प्रति** तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध **शिक्षक** का वेतन आहरित किया जावेगा।

शोध निर्देशक/सह निर्देशक के अन्यत्र स्थानातरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र अपना शोध कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। **शोध कार्य पूर्ण हो** जाने के उपरांत शोध छात्र का शोध प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे ।

16– विशेष

16.1 **जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर / गलत जानकारी देकर**, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा **कार्यालयीन** असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया **है**, तब ऐसे प्रवेश निरस्त **करने** का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.2 प्रवेश लेकर किसी **समुचित कारण** पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, लगातार एक माह या **अधिक समय** तक **अनुपस्थित रहने** वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का **प्रवेश निरस्त** करने अथवा **उसे** निष्कासित करने का अधिकार **प्राचार्य** का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के **दौरान विद्यार्थी** द्वारा महाविद्यालय **छोड** देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त **होने** अथवा उसका **निष्कासन किये** जाने **की स्थिति में विद्यार्थी** को **संरक्षित निधि के** अतिरिक्त अन्य कोई **शुल्क** वापिस नही किया जायेगा ।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक **सिद्धान्तों के** स्पष्टीकरण या **प्रवेश** संबंधी किसी भी **प्रकरण में मार्गदर्शन** की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण /मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

16.6. इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय–समय पर <u>परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न</u> का संपूर्ण अधिकार म0प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०, 548/327/आका.प्र./क्षे.3(शि.)/09 भोपाल, दिनांक 22.5.09

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन ।

2 स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव,म०प्र० शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल

3 समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल ।

4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म०प्र० की ओर सूचनार्थ उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को वितरित करने हेतु प्रेषित ।

6 **अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा शाखा**–13 को अशासकीय महाविद्यालयों को वितरित करने हेतु प्रेषित ।

7 समस्त कुलसचिव, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय ।

8 समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

22.5.09

(प्रो० ए०सी० अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल